


झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

रांची, दिनांक 23 फरवरी, 2015

संख्या-1/पी0-104/2014 का0-1676/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर अधिसूचित डॉ० आलोक गोयल, भा.प्र.से. (झा:90) को उनके द्वारा सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची का प्रभार ग्रहण की तिथि तक के लिए श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:86), प्रधान सचिव, समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


का-23-2-15
(आभा काशी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-104/2014 का-1676 /रांची, दिनांक 23 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी/कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


का-23-2-15

सरकार के संयुक्त सचिव।